

प्रारूप-52

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला मथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (4.00किमी०)

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र.स.	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना								
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	1:2:4 सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण								
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना								
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य								
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
7	पानी की दुलाई आदि								
	कुल योग								


उप प्रशासीय वन अधिकारी
पौड़ी उप वन प्रभाग
भरेड़ी


वन क्षेत्राधिकारी
पैठाणी राजि
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी


प्रशासीय वन अधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी

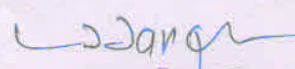
प्रारूप-51

परियोजना का नाम- जलद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला मधी
नाइ नोटर मार्ग का निर्माण कार्य (4.00किमी०)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

ज्ञात किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा
एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन
विभाग को कर दिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता (I)
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पावौ पौड़ी (गढ़वाल)


अधिशाली/अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पावौ पौड़ी (गढ़वाल)

प्रारूप-53

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला मथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(4.00किमी०)

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि लागू नहीं वर्षों की लीज पर

लीजानी प्रस्तावित है, लागू नहीं है।

C. S.
70/-
प्रमाणित वन अधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी

सहायक अभियन्ता (I)
निर्माण खण्ड लो० नि० दि०
पौड़ी (गढ़वाल)

अज्ञ

अज्ञ

अज्ञ
अधीन अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी
लो० नि० दि०
पौड़ी (गढ़वाल)

वन क्षेत्राधिकारी
पैठाणी राजि
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी

उप प्रमाणित वन अधिकारी
पौड़ी वन प्रभाग

प्रारूप-54

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला मथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(4.00किमी०)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्ररुनगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

C.S.
हो/
प्रभागीय वन अधिकारी
पौड़ी
गढ़वाल वन प्रभाग

हो/
अधीनकारी अभियन्ता
निर्माण खंड लो०नि०वि०
पावौ पौड़ी (गढ़वाल)

हो/
सहायक अभियन्ता (I)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पावौ पौड़ी (गढ़वाल)

हो/
अधीनकारी

हो/
सहायक अभियन्ता (I)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पावौ पौड़ी (गढ़वाल)

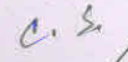
हो/
वन क्षेत्राधिकारी
पैठाणी राजि
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी

परियोजना का नाम- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला मथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(4.00किमी०)

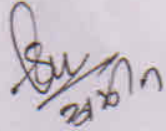
प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के जलसमेत क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु वन विभाग द्वारा तैयार की गई कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT PLAN) के क्रियान्वयन हेतु कैट प्लान में उल्लिखित धनराशि का भुगतान वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार यथासमय किया जायेगा, लागू नहीं है।


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
घावौ पौड़ी (गढ़वाल)


हो/-
प्रमाणित वनाधिकारी
गढ़वाल वन विभाग
पौड़ी


सहायक अभियन्ता (I)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
घावौ पौड़ी (गढ़वाल)


अधीन


एच प्रमाणित वनाधिकारी
पौड़ी उप वन विभाग
पौड़ी


वन क्षेत्राधिकारी
पैठाणी राजि
गढ़वाल वन विभाग पौड़ी

प्रारूप-57
कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

पट्टा जिन्हें पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राज्य प्राविधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म।

भाग-1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है)

1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है। (प्रति संलग्न करें)
2. परियोजना के विवरण :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला मथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (4.00 किमी०)
- (1) प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।
(2) 1:50,000 के स्केल मैप पर वन के आस-पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र।
(3) परियोजना की लागत।
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्यौरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है)।
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

— लागू नहीं है। —

तारीख:
स्थान:-

अ.स.क.
अ.स.क.

सहायक अभियन्ता (1)
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
पावौ पौड़ी (गढ़वाल)

हस्ताक्षर
(नाम बड़े अक्षरों में) नि० वि०
पदनाम
पता (प्रयोक्ता एजेन्सी का)

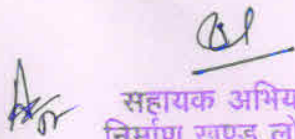
वन क्षेत्राधिकारी
पौड़ी एवं वनप्रभाग
पौड़ी

वन क्षेत्राधिकारी
पैठाणी राजि
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी

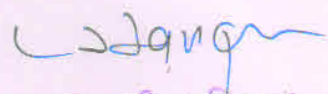
प्रारूप-56

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में चेरी बंगला मथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।(4.00किमी०)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय, नहीं है।


सहायक अभियन्ता (I)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पावो पौड़ी (गढ़वाल)


अभियन्ता


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
पावो पौड़ी (गढ़वाल)

भाग- II

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

5- परियोजना/स्कीम का स्थान :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड क्षेत्र थैलीसैण में
चेरी बंगला मथी गांव मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (4.00किमी०)

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र: उत्तराखण्ड
- ii) जिला:- पौड़ी गढ़वाल।
- iii) वन प्रभाग: - गढ़वाल वन प्रभाग.....
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन
भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में):-
- v) वन की कानूनी स्थिति
- vi) वानस्पति का घनत्व
- vii) अखण्डित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और ब्यास श्रेणीवार:
- viii) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य
जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर
आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और
प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित
की जाए)

6- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया
है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी
अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें।
क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

7- पूर्व अनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तों के अनुपालन की
स्थिति के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण
रिपोर्ट। (संलग्न की जानी।)

8- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल।
- ii. जिले का वन क्षेत्र।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
नवीनीकरण

प्रतिकूल

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित
वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

v. तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

9- कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या
अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की
विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

दिनांक

स्थान.....